

कार्यालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



153

काद सं०- M-110 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

सी.ए. मही वगैरे

बनाम उभय पक्षाधिक

| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तारीख सहित |
|----------------------------|---|--|
| | <p>अभिलेख सं०-एन. <u>110</u> / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>28/18</u> दिनांक- <u>10-08-18</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>खाला नं० 13 लॉट नं० 248 रकबा 20 बी० खाला नं० 66 लॉट नं० 285 रकबा 26 1/2 बी० कुल रकबा रमा 79 1/2 बी० जमीन की लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>05/10/18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="336 1836 638 1982"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> <div data-bbox="1005 1814 1324 1982"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> </div> </div> | |

Se

05-10-18

इस समय पर अधिवक्ता द्वारा हांजरी
की गई। कार्य दफ्तर कार्यालया के माग
लेन हेतु शर्तों में अगली तिथि 22-
10-18 ।

22-10-18

अभिलेखा उपस्थापित इस समय पर उपस्थित
इस समय पर हाथ धोपालक में समुक्त आवेदन
केका निवेदन किया गया है कि इस समय पर
आपस में विवाद का विपला का लिए है।
और इस समय पर में शान्ति संग होने की
संभावना नहीं है। इस समय पर एक ही
गांव के है और केष लडना नहीं चाहते है।
इस समय पर में अब किसी तरह का शान्ति
संग होने की संभावना नहीं है अतः इस समय
पर के सुलाहनाम आवेदन स्वीकृत का वाद
की समाप्त किया जाय ।

इस समय पर के समुक्त आवेदन को
स्वीकृत किया जाता है तथा वाद में अभिलेखा
की कारवाही बन्द की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दफ्तराधिकारी
22/10/18

कार्यपालक दफ्तराधिकारी
दुपडा (संघ)